सिक्युरिटी गार्ड हेतु निविदा/भावपत्र आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक– 577 रायपुर दिनांक 29/01/2022

//निविदा प्रपत्र//

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 500/– (जीएसटी सहित)
अमानत राशि	रूपये 20,000/–
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	दिनांक–21/02/2022 समय दोपहर 2:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक–21/02/2022 समय दोपहर 3:00 बजे तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक–21/02/2022 समय शाम 4:00 बजे

जनसम्पर्क संचालनालय

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नंबर– 0771–2511422

Web :- www.cg.nic.in/dpr

जनसम्पर्क संचालनालय

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन – 0771–2511422

निविदा आमंत्रण प्रपत्र

निविदा क्रमांक– 577 दिनांक : 29.01.2022

जनसम्पर्क संचालनालय में सिक्युरिटी गार्ड की सेवा हेतु अनुभवी एवं योग्य फर्मों से एवं मुहरबंद निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र शुल्क – 500/–
अमानत राशि – 20,000/ (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि – 21.02.2022 (दोपहर 2:00 बजे तक)
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 21.02.2022 (दोपहर 3:00 बजे तक)
निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि – 21.02.2022 (सायं 4:00 बजे)

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में जनसम्पर्क संचालनालय इंद्रावती भवन में जमा किया जा सकता है। अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाइट **www.cg.nic.in/dpr** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम शर्त या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

जनसम्पर्क संचालनालय की सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा प्रपत्र (टेक्निकल बिड)

1. निविदाकार फर्म/ठेकेदार का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. पेन नंबर (पेन की प्रति संलग्न करें) :– ....
4. जीएसटी नंबर (जीएसटी पंजीयन की प्रति संलग्न करें) :– ....
5. फर्म का ईपीएफ कोड नंबर (प्रति संलग्न करें) :– ....
6. फर्म का ईपीएफ नंबर (प्रति संलग्न करें) :– ....
7. सिक्युरिटी पसारा लायसेंस नंबर (प्रति संलग्न करें) :– ....
8. पुलिस मुख्यालय में पसरा जीवित पंजीयन प्रति संलग्न करें) :– ....
9. लेबर लायसेंस नंबर (प्रति संलग्न करें) :– ....
10. कार्यालय पता :– ....
    :– ....
    :– ....

    दूरभाष एवं मोबाईल नंबर :– ....

11. निवास का पता :– ....
    :– ....
    :– ....

    दूरभाष एवं मोबाईल नंबर :– ....

12. धरोहर राशि जमा करने का विवरण :– जनसम्पर्क संचालनालय के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... (राशि रूपए 20,000/– रूपए मात्र का)

    बैंक का नाम/शाखा :– ....
13. निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करने का विवरण जनसम्पर्क संचालनालय के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... (राशि रूपए 500/– रूपए मात्र का)

    बैंक का नाम/शाखा :– ....
14.
1.
2.

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
सील मुद्रा

जनसम्पर्क संचालनालय

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नंबर– 0771–2511422

Web :- www.cg.nic.in/dpr

जनसम्पर्क संचालनालय की सिक्युरिटी गार्ड हेतु निविदा/भाव पत्र की नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में सिक्युरिटी कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। महिला प्रोप्राइटर को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. निविदाकारों को निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/– (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 20000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) संचालक जनसम्पर्क के नाम से रायपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। चयनित फर्म/ संस्था को जनसम्पर्क संचालनालय में उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कर्मी के वेतन भुगतान की सुरक्षा के रूप में अनुबंध निष्पादन के पूर्व राशि एक लाख रूपये का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी जनसम्पर्क संचालनालय में जमा करना होगा।

3. सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त वापस कर दी जावेगी।

4. निविदा की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :

   1. शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालयों में सिक्युरिटी कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   2. वित्तीय वर्ष 2020–21 में सिक्युरिटी कार्य संबंधी वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रू. 10 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र में सिक्युरिटी कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है।

   3. वैधानिक पंजीयन जैसे पसरा लायसेंस, एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट आदि के अन्तर्गत वैध पंजीयन हो। पंजीयन प्रमाण–पत्रों, पेन कार्ड की प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।

   4. वित्तीय वर्ष 2019–20 (कर निर्धारण वर्ष 2020–21) के लिए जमा आयकर रिटर्न की प्रति। वित्तीय वर्ष 2020–21 की एम्पलाईज प्राविडेंट फण्ड एवं ईएसआईसी की जमा ईसीआर चालान की प्रतिया।

5. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/– के स्टाम्प पर जनसम्पर्क संचालनालय नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

6. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय–समय पर जारी नियमों, निर्देशों आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट कर्मचारी भविष्य निधि आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी आदि वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय के अंदर करना अनिवार्य होगा। भुगतान पश्चात साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां प्रतिमाह जनसम्पर्क संचालनालय में उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद ही आगामी माह के देयकों का भुगतान किया जाएगा।

7. न्यूनतम दर वाले फर्म के साथ सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। न्यूनतम वित्तीय दर दो या दो से अधिक फर्मों की समान होने की स्थिति में टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शासकीय /अर्द्धशासकीय कार्यालयों में सिक्युरिटी संबंधी कार्य की अधिक अनुभवी फर्म से न्यूनतम दर पर सेवा ली जाएगी। न्यूनतम (L1) दर पर न्यूनतम दर वाले फर्म द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में L2 फर्म को L1 दर पर कार्य देने का अधिकार आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा।

8. निविदा हेतु एक लिफाफा टेक्निकल बिड एवं एक पृथक लिफाफा फाइनेन्शियल बिड हेतु प्रस्तुत करें। टेक्निकल बिड लिफाफा में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार वांछित दस्तावेज भरकर लिफाफे के उपर टेक्निकल बिड लिखना होगा। फाईनेन्शियल बिड लिफाफा में निर्धारित प्रारूप में राशि भरकर प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफा के उपर फाईनेन्शियल बिड लिखना अनिवार्य होगा।

9. जनसम्पर्क संचालनालय छोटा पारा रायपुर के कार्यालय भवन परिसर की सम्पूर्ण सुरक्षा के अंतर्गत कार्यालय के भीतर एवं चारों ओर का बाहरी क्षेत्र सहित भविष्य में कार्यालय भवन में शामिल होने वाले अन्य भवन क्षेत्र भी शामिल माना जायेगा।

10. संस्था को सम्पूर्ण सिक्युरिटी कार्य सुनिश्चित करना होगा। संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव संसाधन/गार्ड के किसी कृत्य के कारण कोई हानि अथवा कार्यालय के किसी सामग्री/उपकरण की चोरी होने पर उसकी भरपाई चयनित फर्म को करना होगा।

11. सुरक्षा कर्मियों को गहरे नीले रंग की फुल पैंट व हाफ शर्ट में आना होगा। वर्दी एवं जूते की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी।

12. सुरक्षा कर्मचारी की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।

13. सुरक्षा कार्य में लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों की फोटो सहित नाम वर्तमान एवं स्थाई पता इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से जनसम्पर्क संचालनालय नवा रायपुर कार्यालय में जमा करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के उत्तरदायी चयनीत फर्म /समुह की होगी।

14. उचित सिक्युरिटी न होने पर अथवा किसी अधिकारी की शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रू 500/– (पांच सौ मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा। जिसकी कटौती भुगतान किये जाने वाले देयक में से की जावेगी।

15. ठेकेदार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे अपने कार्य के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं

करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुंचाना पाया गया तो हानि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर पुलिस कार्यवाही भी की जायेगी।

16. ठेका अनुबंध अवधि, अनुबंध निष्पादन दिनांक से तीन वर्ष अवधि के लिए होगी। इस अनुबंध अवधि के बाद दूसरी निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने की स्थिति में आगामी आदेश तक ठेकेदार को बढ़ाई गई अवधि तक निविदा की अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा। सेवा संतोषजनक पाए जाने पर आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाने का अधिकार जनसम्पर्क संचालनालय को रहेगा।

17. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय नवा रायपुर (छग) को होगा तथा इसके विरूद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।

18. उपरोक्त शर्तों के अनुसार ठेकेदार का कार्य सतोषजनक न होने पर ठेका समाप्त कर घरोहर राशि राजसात करने का अधिकार आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय के पास सुरक्षित रहेगा।

19. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व जनसम्पर्क संचालनालय छोटापारा रायपुर के परिसर सभी कमरे, बाथरूम, गैरेज, पार्किंग स्थल एवं सम्पूर्ण कार्यालय भवन का भौतिक अवलोकन अवश्य कर ले। भौतिक अवलोकन पश्चात ही निर्धारित प्रारूप में वित्तीय दर प्रस्तुत करें।

20. आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

21. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा।

शपथ–पत्र

मैं ....संस्था प्रमुख निवासी ....जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा देय ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। हमारे फर्म के पास जीवित पसरा लायसेंस उपलब्ध है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त जनसम्पर्क को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे जनसम्पर्क संचालनालय की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ....किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

जनसम्पर्क संचालनालय की सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा/भाव पत्र की नियम एवं शर्तें

निविदा भावपत्र दर (मासिक) :–

(निम्न बिन्दुओं की लागत विवरण पृथक से बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)

क्र.	मद्	विवरण	राशि (जीएसटी अतिरिक्त)
1	अनुभवी सिक्युरिटी गार्ड	प्रति सिक्युरिटी गार्ड हेतु एकमुश्त मासिक दर–(फर्म को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेवर एक्ट, ई.पी.एफ. ई.एस. आई.सी., दुर्घटना बीमा आदि समस्त प्रवधानों का पालन करना होगा।	
2	एजेंसी का सर्विस चार्ज		
3	महायोग		

अभिवचन :–

(1) सिक्युरिटी गार्ड कर्मचारियों को एजेंसी की ओर से वर्दी उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) छोटा पारा स्थित जनसम्पर्क संचालनालय परिसर का भौतिक अवलोकन पश्चात सिक्यूरिटी कार्य से संबंधित मेन्टनेंस एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते निविदा के नियम शर्तों का अवलोकन पश्चात उक्त दरें कोट की जा रही है।

(3) एम्पलायर प्रोविडेंट फण्ड एवं ईएसआईसी अंशदान की प्रतिपूर्ति जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा मासिक देयक के साथ की जाएगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर
सील एवं मुद्रा

जनसम्पर्क संचालनालय की सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा/भाव पत्र की नियम एवं शर्तें

जनसम्पर्क संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ (पक्ष क्रमांक 01) एवं मेसर्स (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा जनसम्पर्क संचालनालय कार्यालय भवन एवं परिसर की सिक्युरिटी कार्य हेतु दिनांक दिनांक / / 2023 तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित शर्तों के साथ / /2022 से अनुबंध किया जाता है :–

1. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा जनसम्पर्क संचालनालय (पक्ष क्र.01) के छोटा पारा रायपुर स्थित कार्यालय भवन एवं परिसर की सिक्युरिटी सेवा का कार्य करेगा।
2. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा समस्त सुरक्षा कर्मियों को गहरे नीले रंग की फुल पैंट व हाफ शर्ट की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करेगा।
3. यह कि कर्मचारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 की होगी एवं समुचित प्रबन्ध करना होगा।
4. यह कि पक्ष क्रमांक 02 सिक्युरिटी की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी/सुरक्षा गार्ड के किसी कृत्य के कारण कोई हानि अथवा कार्यालय के किसी सामग्री/उपकरण की चोरी होने पर उसकी भरपाई चयनित पक्ष क्रमांक 02 करेगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक 02 छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय–समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेदर एक्ट कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी जीएसटी (पंजीयन हो तो) आदि वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय के अंदर करना अनिवार्य होगा भुगतान पश्चात साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां प्रतिमाह जनसम्पर्क संचालनालय कार्यालय में उपलब्ध करायेगा। उसके बाद ही आगामी माह के देयकों का भुगतान किया जाएगा।
6. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सिक्युरिटी कार्य में लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों की फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता संपर्क कर इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से पक्ष क्रमांक 01 के कार्यालय में जमा करायेगा। पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि का उत्तरदायित्व चयनीत फर्म/समूह की होगी।
7. यह कि 02 के कर्मचारियों/सुरक्षा गार्ड को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे संपूर्ण कार्यालय की सफाई के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेख व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुंचाना पाया गया तो हानि की वसूली पक्ष क्रमांक 02 से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर पुलिस कार्यवाही भी की जायेगी।
8. यह कि कार्यो संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अनुबंध अवधि में वृद्धि करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित रहेगा।
9. यह कि पक्ष क्रमांक 02 अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच पक्ष क्रमांक 02 द्वारा बीच में कार्य छोड़ा जाता है तो पक्ष क्रमांक 02 द्वारा जमा अमानतः राशि को

राजसात कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित होगा।

10. यह कि उपरोक्त शर्तो के अनुसार पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषजनक न होने पर पक्ष क्रमांक 01 का अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार होगा।

11. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कार्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, श्रम नियम, जीएसटी अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा एवं प्रतिमाह देय राशि नियत समय में जमा कर साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान की पावती उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी माह के देयक का भुगतान पक्ष क्रमांक 01 द्वारा किया जाएगा।

12. यह कि व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ होगा।

13. यह कि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर–प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

चेकलिस्ट

टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 500/– का जनसम्पर्क संचालनालय के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र..... ....दिनांक रू. 500/–
2. अमानत राशि रू 20,000/– का जनसम्पर्क संचालनालय के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र. .... दिनांक ....रू.
3. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में सिक्युरिटी से संबंधित मेंटनेंस तथा सिक्युरिटी संबंधी कार्य अनुभव के साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रतियां निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है।

क्र.	नियोक्ता (शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय) का नाम	सेवा अवधि (दिनांक......से तक कुल ....वर्ष)

4. वित्तीय वर्ष 2019–20 का चार्टेड एकाउंटेड से सत्यापित कम से कम रू 12 लाख का वार्षिक टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र टर्न ओव्हर प्रमाण–पत्र में सिक्युरिटी कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है।
5. एम्पलाईज प्रोविडेन्ट फण्ड पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की ईसीआर चालान की प्रतियां।
6. ईएसआईसी पंजीयन की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की ईसीआर चालान की प्रतियां।
7. लेकर एक्ट के तहत पंजीयन की प्रति।
8. लेवर लायसेंस की प्रति।
9. सिक्युरिटी पसरा लायसेंस की प्रति ।
10. पेन कार्ड की प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) के जमा आयकर रिटर्न की प्रति।
11. निर्धारित प्रारूप में रू 50/– के स्टॉम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र की मूल प्रति ।
12. उपरोक्त क्रम में ही दस्तावेजों को टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है।